Neutral Citation
2024:CGHC:27468

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका(सेवा)क्रमांक 6647/2016

मिथिलेश ओझा पिता श्री उदय नारायण ओझा, आयु लगभग 22 वर्ष निवासी- मकान क्रमांक 70, सुन्दर नगर सीतापुर, सरगुजा जिलाः सरगुजा ,छत्तीसगढ़, पिन- 497111

---- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा- सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय महानदी भवन,नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. नियंत्रक, व्यापमं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , पेंशन बड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक,संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ,तृतीय तल,नया रायपुर छत्तीसगढ़
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जशपुर, जिलाः जशपुर छत्तीसगढ

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सचिन निधि, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1, 3 व 4/राज्य की ओर से : श्री आर.के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता सह श्रीराहुल तामस्कर,शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से : सूचना की तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं

Neutral Citation
2024:CGHC:27468

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी

बोर्ड पर आदेश

26/07/2024

सुना गया।

1. वर्तमान याचिका जशपुर जिले हेतु आयोजित फार्मासिस्ट-II की परीक्षा को रद्द करने और दस्तावेज के सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि दिनांक 18/07/2016 (अनुलग्नक पी/1) के विज्ञापन के अनुसार उसने फार्मासिस्ट (भेषजज्ञ) के पद हेतु आवेदन किया और लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ तथा अनुलग्नक पी/3 के अनुसार वरीयता क्रम में जिलावार रैंक 5 प्राप्त करके उक्त परीक्षा उत्तीर्ण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार , छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा किए गए प्रकाशन, परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया और उसके बाद की परीक्षा को व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना था। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चयन के पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना आवश्यक था तथा अनुलग्नक पी /4 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जशपुर द्वारा दिनांक 14/12/2016 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था , जिसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई तथा याचिकाकर्ता सत्यापन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, अतः उत्तरवादी/व्यापमं एवं राज्य द्वारा अपनाई गई नियम एवं प्रक्रिया से स्पष्ट विचलन है, क्योंकि सम्पूर्ण परीक्षा में काउंसलिंग की तिथि एवं सत्यापन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचना सम्मिलित होनी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इसके बाद सत्यापन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि 15/11/2016 से 17/11/2016 निर्धारित की गई थी। इस तथ्य की जानकारी होने पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 23/11/2016 को आपत्ति/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि उसने वरीयता क्रम में 5 वां स्थान प्राप्त किया है तथा चूंकि जशपुर जिले की वेबसाइट पर आमंत्रित आवेदन में उसका नाम सम्मिलित नहीं था, इसलिए वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता, इसलिए उसे सत्यापन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे, परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जशपुर द्वारा दिनांक 07/12/2016 के आदेश (अनुलग्नक आर/3) द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/11/2016 से 17/11/2016 के पश्चात दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः याचिकाकर्ता को अनुचित तथ्यों तथा अति-तकनीकी आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के उसके अधिकार से वंचित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात , उनके पास चीजें नहीं थीं और चूंकि यह जशपुर और बस्तर जिले के लिए था , इसलिए शेष औपचारिकताएं उनके द्वारा की जानी थीं। याचिकाकर्ता के प्रकरण में , जिसके लिए उसने आवेदन किया था, दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सूचना प्रकाशित करने के लिए सीएमओ, जशपुर को सूचना भेजी गई थी और इसे जशपुर जिले की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था। यह आगे तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता को जशपुर की वेबसाइट में सत्यापन की सूचना के विषय में ज्ञात हो गया था , परंतु उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, इसलिए, आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया और याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया जा सका।

5. सूचना की तामीली के बावजूद उत्तरवादी संख्या 2/व्यापमं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया था, वह सामान्य श्रेणी से संबंधित था तथा विज्ञापन में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। नीचे:- सुसंगत निर्देश पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं-

नोट-1. उपरोक्त में बैकलांग पद भी शामिल है।

2. उक्त पद हेतु केवल OL(एक पैर) एवं BL(दोनो पैर) निःशक्त ही पात्र होंगे।

3. बस्तर /सरगुजा संभाग के लिए उक्त संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591 /2012, रिटपिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593,/2012, रिट पिटीशन (सी) 594 /2012, में पारित न होने वाले आदेश /निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

उक्त पदों की संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी व्यापमं की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in **पर देखा जा सकता है।**

संचालक

स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके पठन से ज्ञात होता है कि परीक्षा पद्वति , नियम, पाठ्यक्रम, परीक्षा के लिए आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क और परीक्षा का संचालन व्यापमं की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसे वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने परीक्षा दी और जशपुर जिले में 5 वां स्थान प्राप्त किया। उत्तरवादी के अनुसार, लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद व्यापमं आगे सत्यापन करने हेतु तैयार नहीं था, इसलिए संबंधित जिले के सीएमओ को सूचना भेजी गई, जिन्होंने बदले में दस्तावेजों के सत्यापन के विषय में सूचना तीन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की और इसे जशपुर जिले की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया।

9. याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रकाशन की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई, बल्कि दिनांक 16/11/2016 को आमंत्रित आपत्ति के परिपालन में उन्होंने दिनांक 23/11/2016 को आवेदन/आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें अभिव्यक्त किया गया कि चूंकि यह प्रकाशन जशपुर की वेबसाइट पर किया गया था , जो कि अधूरा था, क्योंकि इसमें उनका नाम सम्मिलित नहीं था और अन्य चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी नहीं दर्शाए गए थे। परिणामस्वरूप , वे दस्तावेजों के ऐसे सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 23/11/2016 को की गई आपत्ति एवं आशंका पूर्णतः उचित प्रतीत होती है। यदि चयनित अभ्यर्थियों के नाम वेबसाईट पर नहीं दर्शाए गए होते तो अभ्यर्थी आवश्यकता के विवाद्यक से स्वयं को कैसे जोड़ पाता। प्रेस विज्ञप्ति बनाया गया था तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 के अनुसार तीन समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी, किन्तु किस नियम एवं अधिकार के तहत समाचार के रूप में प्रकाशन किया गया, यह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं है। जशपुर द्वारा बनाई गई ऐसी वेबसाईट की सूचना की विषय-वस्तु भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जारी किए गए प्रारंभिक विज्ञापन से ज्ञात होता है कि परीक्षा की

संपूर्ण कार्यवाही एवं आगे का संचालन व्यापमं की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। यद्यपि व्यापमं द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुतीकरण किया गया है , जिसका राज्य द्वारा भी समर्थन किया गया है कि लिखित परीक्षा आयोजित होने के पश्चात व्यापमं ने प्रवीण्य सूची सौंप दी है तथा राज्य प्राधिकारियों को आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, प्रथम दृष्टया प्रक्रिया समानांतर चलती प्रतीत होती है।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 23/11/2016 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कारण बताया कि उसे क्यों विचार नहीं किया जा सकता है , परंतु उसी आपत्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 07/12/2016 अनुलग्नक आर/3 के पत्र द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 15/11/2016 और 17/11/2016 की तिथि बीत जाने के बाद, आपत्ति पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। एक दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत है जो दर्शाता है कि बाद में 16/12/2016 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त कृत्य पूर्णतः याचिकाकर्ता के अधिकार से वंचित करने के परिणामस्वरूप हुआ, जिसने केवल अति-तकनीकी आधार पर मेरिट में उच्च अंक प्राप्त किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **आशा विरुद्ध पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेड साइंसेज {(2012) 7 एससीसी 389}** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रवेश की अकुशलता, अशुद्धि या अनुचित तरीकों से मेरिट का नियम विफल हो जाता है तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें मेरिट के नियम से समझौता किया जा सके। संक्षिप्तता हेतु सुसंगत अनुच्छेद नीचे पुन : प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"21. इस स्तर पर, हम न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ दे सकते हैं, जहाँ उसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चयन के लिए मानदंड केवल मेरिट ही होनी चाहिए। वास्तव में, मेरिट, निष्पक्षता और पारदर्शिता ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। यदि मेरिट के नियम को प्रवेश की अक्षमता, अशुद्धि या अनुचित तरीकों से पराजित किया जाता है, तो यह इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई और राज्यों द्वारा विधिवत अधिसूचित योजना का उपहास होगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जहाँ मेरिट के नियम से समझौता किया जा सके। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मेरिट एक कारण रही है। इस न्यायालय द्वारा लगातार लिए गए दृष्टिकोण का संदर्भ देना उपयोगी होगा कि केवल मेरिट ही ऐसे प्रवेशों के लिए मानदंड है और मेरिट को दरकिनार करना न केवल अस्वीकार्य है बल्कि विधि का दुरुपयोग भी है। (संदर्भः प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 7 एससीसी 433; हर्षाली विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2005) 13 एससीसी 464; प्रदीप जैन विरुद्ध भारत संघ (1984) 3 एससीसी 654 और शरवन कुमार विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 1993 सप (1) एससीसी 632।

24. .... प्रतिस्पर्धा जितनी अधिक होगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी से कार्य करने का संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य उतना ही अधिक होगा। यह देखना उनका प्राथमिक दायित्व है कि उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को उसकी पसंद के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम और कॉलेज में सीट से वंचित न किया जाए। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया अधिकारियों के लिए एक बोझिल कार्य है, लेकिन यह अपने आप में मेरिट से समझौता करने का आधार नहीं हो सकता। संबंधित अधिकारियों से कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन्हें निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए , अर्थात संबंधित नियमों और विनियमों के अनुरूप।

13. इसके अतिरिक्त, **सौरभ चौधरी विरुद्ध भारत संघ {(2003) 11 एससीसी 146}** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश विवाद्यक पर निर्णय करते समय इस तथ्य पर बल दिया था कि मेरिट में संस्थागत वरीयता के रूप में प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। इसलिए, जो दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी , परंतु उसे इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि 15/11/2016 और 17/11/2016 के बीच दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि शुरू में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और अन्यथा भी यदि राज्य का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि प्रकाशन जशपुर की वेबसाइट पर किया गया था, जो याचिकाकर्ता के ज्ञान में था, तो याचिकाकर्ता का यह तर्क कि ऐसी अधिसूचना अधूरी थी , अधिसूचना की ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने से नकारा नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब उसे आपत्ति आमंत्रित करने की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। सीएमओ ने प्रकरण की गंभीरता को उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बजाय उसे खारिज करने की कोशिश शुरू कर दी और याचिकाकर्ता की मेरिट को दरकिनार करते हुए अति-तकनीकी आधार पर दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब दस्तावेजों पर आपत्ति मांगी गई थी, तो यह स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इसलिए दस्तावेजों की निविदा आसानी से स्वीकार की जा सकती थी। ऐसा करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप तकनीकी आधार पर मेरिट की जानबूझकर अनदेखी की गई, जिसके कारण अधिकारी ही बेहतर जानते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Neutral Citation
2024:CGHC:27468

14. इस संबंध में विधि बहुत स्पष्ट है, **वशिष्ठ नारायण कुमार विरुद्ध बिहार राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को साधारण आधार पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी मामूली त्रुटि जानबूझकर दमन या अनुचित बयानी न हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 20 और 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> 20. इस प्रकरण में, अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार किया है। आवेदन में त्रुटि साधारण है, जिसने चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई। राज्य को इस बात को तूल देने का अधिकार नहीं था। शायद साइबर कैफे के दुर्लभ माहौल ने अपीलार्थी को परेशान कर दिया। उसने त्रुटि को नोटिस करना छोड़ दिया और यहां तक कि सुधारात्मक तंत्र का लाभ उठाने में भी विफल रहा। इस प्रकरण में, हम जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकते। सी.ए. संख्या 6983/2021 [प्रिंस जयबीर सिंह विरुद्ध भारत संघ] में दिनांक 22.11.2021 के आदेश में, इस न्यायालय ने उचित रुप से अवधारित किया कि यद्यपि प्रौद्योगिकी एक महान सक्षमकर्ता है, परंतु साथ ही, एक डिजिटल विभाजन भी है।
>
> 21. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रति-शपथपत्र में मिसाल के तौर पर उद्धृत मामलों में से एक, पंकज पासवान विरुद्ध बिहार राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन पैट 8739, में राज्य ने यह बचाव किया था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक स्थानों पर आवेदन किया था और इसलिए एक से अधिक जिलों या क्षेत्रों में चयन प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए जन्म तिथि में जानबूझकर फेरबदल किया जा सकता है। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है। यदि ऐसा कोई उपकरण या चाल अपनाई गई होती, तो राज्य आसानी से इसका पता लगा लेता और इसे न्यायालय के समक्ष रख देता। तथ्य यह है कि ऐसा नहीं किया गया है , यह दर्शाता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई चाल या उपकरण का आश्रय नहीं लिया गया था। यह एक मामूली त्रुटि है जो वास्तविक और सद्भावनापूर्ण त्रुटि प्रतीत होती है। इसके लिए अपीलार्थी को दंडित करना अन्यायपूर्ण होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित है, अर्थात सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले राज्य के अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग कैसे करना चाहिए। **यूनाइटेड स्टेट्स विरुद्ध वांडरिश (1951) एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 93** में न्यायमूर्ति डगलस ने निम्नानुसार अवधारित किया -

> ....जब इसने मनुष्य को किसी शासक के असीमित विवेक से मुक्त कर दिया है ------जहाँ विवेक निरपेक्ष है, मनुष्य को हमेशा कष्ट उठाना पड़ा है।

16. **ई.पी. रोयाप्पा केस 1974 (4) एस.सी.सी. 3** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य की कार्रवाई बाहरी या असंगत विचार से निर्देशित नहीं हो सकती है और यह वैध सुसंगत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

17. इस न्यायालय के अनुसार सही परीक्षण यह है कि तकनीकीता न्याय को पराजित नहीं करनी चाहिए। ऐसे विवेक का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हमेशा इस तथ्य पर

विचार करना चाहिए कि यदि ऐसे अभ्यर्थी की जगह उसका अपना पुत्र या रिश्तेदार होता तो उसका निर्णय क्या होता। ऐसे परीक्षण को लागू करके, व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह जिस विवेक का प्रयोग कर रहा है वह आनुपातिक रूप से सार्वजनिक कल्याण को बनाए रखने हेतु है और यह अति -तकनीकी या असंगत विचार का परिणाम नहीं होना चाहिए।

18. अब चूंकि काफी समय व्यतीत हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि चयन की सभी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता को अब फार्मासिस्ट के पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता है, जिसके लिए वह अपनी मेरिट के आधार पर 5 वें स्थान पर था, अतः **मनोज कुमार विरुद्ध भारत संघ व अन्य {[2024] 2 एस.सी.आर. 409: 2024 आईएनएससी 126}** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का परिपालन करते हुए जिसमें यह अभिर्धारित किया गया है कि जब कोई लोक कार्यकारी कार्रवाई में मनमानी का आरोप लगाता है, तो उच्च न्यायालय को निश्चित रूप से शैक्षणिक प्रकरणों में न्यायिक संयम के संदर्भ में इस विवाद्यक का परीक्षण करना चाहिए। कार्यकारी कामकाज में लचीलेपन का सम्मान करते हुए, न्यायालयों को मनमानी कार्रवाई नहीं होने देनी चाहिए। अब इस प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हैं क्योंकि आज की तारीख में नियुक्ति को कर्तव्य के परिपालन में बहाल नहीं किया जा सकता है , इसलिए न्यायालय ने बहाली के लिए उचित उपाय प्रदान किए हैं। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता को मनमाने कार्यकारी कार्यवाही द्वारा मेरिट के आधार पर स्पष्ट विचलन करके उसकी नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।

19. **मनोज कुमार** (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि गलत कार्यवाही के लिए उचित समतुल्य प्रतिपूर्ति प्रदान करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। राज्य को याचिकाकर्ता को उपलब्ध रिक्त पद पर सेवा में समायोजित करने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ता को सेवा में समायोजित करने में असफल रहते हैं , तो उन्हें याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करना होगा।

21. इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम छह माह की सीमा के भीतर, उपरोक्त कार्यवाही उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाए ।

सही/-

गौतम भादुड़ी

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Head Note

1) Candidature of candidate cannot be canceled on trivial error till such error is willful suppression or misrepresentation.

मामूली त्रुटि के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसी त्रुटि को जानबूझकर छिपाया अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत न किया गया हो।

2) Providing reasonable equivalent restitution of wrongful action is primary duty of the Court

गलत कार्यवाही के लिए उचित समतुल्य प्रतिपूर्ति प्रदान करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है।

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur